पत्र संख्या–13/2026/324/78-2-2026-ई-1771443

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, डी0ई0जी0एस0, सोसाइटी, उत्तर प्रदेश।
3- राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमती नगर, लखनऊ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 मई,2026

विषय- जनपदों में कार्यरत ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों (ई0डी0एम0) के पारिश्रमिक के संबंध में मार्गदर्शी दिशा-निर्देश।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-16/284/76-2-2021-53 आईटी 2012, दिनाक 27 मार्च, 2021 एवं अनुवर्ती शासनादेश संख्या-1083/78-2-2025-ई-1771443,दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 द्वारा जनपदों में कार्यरत ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स (ई०डी०एम०) की सेवाओं को विस्तारित करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- अवगत कराना है कि जनपदों में कार्यरत ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा विगत कई वर्षों से डी०ई०जी०एस० के कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इस हेतु भारत सरकार के उपक्रम निक्सी द्वारा Work Experience & Number of Years of Relevant Experience के अनुरुप तकनीकी मैनपावर के पारिश्रमिक का वर्गीकरण किया गया है, जिसका उपयोग मार्गदर्शी के रूप में करते हुए अध्यक्ष, डी०ई०जी०एस० द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स (ई०डी०एम०) के पारिश्रमिक को निर्धारित किया जा सकता है।

3- यह भी अवगत कराना है कि डी०ई०जी०एस० द्वारा ई०डी०एम० के प्रासंगिक कार्यकाल के अनुभव एवं कार्य के आधार पर निक्सी द्वारा परिभाषित Categorization (Number of Years of Relevant Experience) के अनुरूप उनको पारिश्रमिक देय होगा तथा Upper Categorization पूर्ण होने के उपरान्त उनके पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि अधिकतम 05 प्रतिशत देय होगी। जनपद में डी.ई.जी.एस. सोसाइटी द्वारा ई.डी.एम. के पारिश्रमिक का व्ययभार पूर्व की भांति यूजर चार्जेज में से सम्बन्धित जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के अंश की धनराशि में से ही वहन किया जायेगा एवं शासन/सीईजी द्वारा इस मद पर किसी भी दशा में व्ययभार वहन नहीं किया जायेगा।

4- ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (ई०डी०एम०) को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के सम्बन्ध में सम्बन्धित डी०ई०जी०एस० निर्णय लेने हेतु स्वयं सशक्त है एवं ई०डी०एम० के पारिश्रमिक के लिए भारत सरकार के उपक्रम निक्सी की दरें पूर्व की भांति पत्र के साथ **संलग्न** कर प्रेषित की जा रही हैं। वर्तमान शासनादेश में संलग्न पारिश्रमिक की दरें दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2021 एवं तद्क्रम में शासनादेश दिनांक 23 सितम्बर, 2025 की शेष व्यवस्था एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-324(1)78-2-2026 एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इले0 अनु-1/2 उ0प्र0 शासन।
4- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।
5- हेड, एसईएमटी, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-324(1)/78-2-2026 का संलग्नक

NICSI/OFFICE SUPPORT AND PROJECT MANAGEMENT SUPPORT & ROLLOUT SERVICES RATES & RELEVANT EXPERIENCE			
S.No	**Category**	**Experience**	**Monthly Stipend (3)**
1-	Project Management Support Engineer	0 to <2 years relevant experience	47,132
2-		2 to <4 years relevant experience	50,942
3-		4 to <6 years relevant experience	55,076

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4-	Senior Project Management Support Engineer	6 to <7 years relevant experience	64,743
5-		7 to <9 years relevant experience	69,889
6-		9 to <11 years relevant experience	75,432
7-		11 to <13 years relevant experience	81,393
8-		13 to <15 years relevant experience	87,959

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।